

समर्त पत्र—व्यवहार “कुलसंचिव” को ही संबोधित किया जाये  
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्ण सदर्भ यदि हो  
तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाली समय नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : यूप्रिविस्टी  
फोक्स : 731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

क्र.विकास/शुल्क निर्धारण/६०४

विश्वविद्यालय भवन,  
इंदौर - 452001  
दिनांक : १३/३/२२

—: अधिसूचना :—

सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि माननीय कुलपतिजी द्वारा सत्र 2024-25 में विभिन्न विभागों के पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:—

1	डॉ. संजीव टोकेकर निदेशक, आई.ई.टी.	— अध्यक्ष
2	डॉ. बी. के. त्रिपाठी, प्रबंध अध्ययन संस्थान	— सदस्य
3	डॉ. रेखा आचार्य, स्कूल ऑफ सोशल साइंस	— सदस्य
4	डॉ. कपिल शर्मा, आई.एम.एस.	— सदस्य
5	वित्त नियंत्रक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	— सदस्य
6	प्रभारी (विकास)	— समन्वयक

उपरोक्त समिति पाठ्यक्रमों की वर्तमान शुल्क की समीक्षा कर सत्र 2024-25 हेतु विभागों से समन्वय कर शुल्क निर्धारण कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

आदेशानुसार

कुलसंचिव  
दिनांक :

पृ.क्र. : विकास/शुल्क निर्धारण/  
प्रतिलिपि :—

- समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण की ओर सूचनार्थ।
- समर्त निदेशक/विभागाध्यक्ष, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
- समर्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
- कुलपतिजी के सचिव/कुलसंचिवजी के निज सहायक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
- प्रभारी, आय.टी.सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, कृपया इसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रभारी (विकास)